रजिस्ट्री डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2011

का.नि.आ. 10(अ).—चूंकि छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (प्रक्रिया) के प्रारूप नियम, 2010 को भारत सरकार के राजपत्र, रक्षा मंत्रालय, का. नि. आ. 12(ई) दिनांक 23 अगस्त 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग– II, खण्ड 4 में छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 19 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 31 द्वारा अपेक्षित प्रकाशित किया गया था तथा उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव माँगे गए थे ;

और, चूंकि उपर्युक्त राजपत्र की प्रतियां छावनी बोर्डों द्वारा 31 अक्तूबर 2010 तक जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और चूंकि निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त सभी आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है ;

इसलिए अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात् :–

4063 GI/2011